POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.12.2025

1. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग/चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 10 लाख रुपये के स्नैचिंग/चोरी के 34 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **29.12.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1. ध्रुव पुत्र साहब सिंह 2. रवि पुत्र भोलम्बर 3. सागर पुत्र भोलम्बर को झुण्डपुरा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैचिंग/ चोरी के 34 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 चोरी की मोटरसाइकिल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये व अभियुक्त ध्रुव उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरण/ अपराध करने का तरीका-- पूछताछ करने के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से सुनसान जगह पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल को चोरी कर लेते थे व चोरी की मोटरसाइकिल से ही मोबाइल फोन स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करते हैं। अभियुक्तों द्वारा बरामद मोबाइल फोन के संबंध में बताया गया कि हमनें ये मोबाइल फोन नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी/स्नैचिंग करके इकट्ठे किए थे। अभियुक्तों द्वारा बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में बताया कि हमनें ये मोटरसाइकिल क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद से चोरी की थी। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि हम मोटरसाइकिलों को बदलते रहते हैं जिससे कि पकड़े न जा सकें ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1- ध्रुव पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम काजाबाद, थाना अतरौली, अलीगढ़ वर्तमान पता जे.जे. कॉलोनी, सेक्टर-11, गौतमबुद्धनगर, उम्र-21 वर्ष।

2- रवि पुत्र भोलम्बर निवासी ग्राम नगला दारापुर, थाना हरदुआगंज,अलीगढ़ वर्तमान पता ग्राम तिगरी गोलचक्कर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र 25 वर्ष।

3- सागर पुत्र भोलम्बर निवासी ग्राम नगला दारापुर, थाना हरदुआगंज,अलीगढ़ वर्तमान पता ग्राम तिगरी गोलचक्कर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **(अभियुक्त ध्रुव)--**

1- मु0अ0सं0- 558/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 285/2025 धारा 317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0- 154/2024 धारा 60 आबकारी एक्ट, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
4- मु0अ0सं0- 253/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58 गौतमबुद्धनगर।
5- मु0अ0सं0- 553/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
6- मु0अ0सं0- 401/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।

- **(अभियुक्त रवि व अभियुक्त सागर)--**

1- मु0अ0सं0- 558/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 553/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
3- मु0अ0सं0- 401/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1- स्नैचिंग/चोरी के 34 मोबाइल फोन
2- चोरी की 01 मोटरसाइकिल
3- 01 अवैध चाकू

2. थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा घरों से चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के ₹1,21,000 रुपये नकद, लगभग 50 लाख रुपये की ज्वैलरी, 01 चोरी का मोबाइल फोन, डीवीआर, चोरी में प्रयुक्त उपकरण व अवैध शस्त्र बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **29.12.2025** को थाना **सेक्टर-39 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से घरों से चोरी करने वाले अभियुक्त 1. संदीप पुत्र रामचरन 2. बाबू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र दशरथ 3. लेखराज उर्फ साका को सेक्टर-40-41 टी प्वाइण्ट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के ₹1,21,000 रुपये नकद, लगभग 50 लाख रुपये की ज्वैलरी, 01 चोरी का मोबाइल फोन, डीवीआर, चोरी में प्रयुक्त उपकरण व अभियुक्त संदीप व अभियुक्त बाबू उर्फ ओमप्रकाश के कब्जे से 01-01 तमंचा मय 01-01 जिंदा कारतूस .315 बोर व अभियुक्त लेखराज उर्फ साका के कब्जे 01 अवैध चाकू बरामद किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 26.12.2025 को वादी के नौकर संदीप द्वारा अपने सह अभियुक्तों बाबू उर्फ ओमप्रकाश व लेखराज उर्फ साका के साथ मिलकर घर के लॉकर से ज्वैलरी व नकद चोरी कर लिए थे, जिसके

संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-39 पर मु0अ0सं0- 655/2025 धारा 306 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अभियुक्त संदीप वर्ष 2017 से हाउस-कीपिंग का कार्य करता था तथा वादी के घर में बने सर्वेंट रूम में ही रहता था। दिनांक 25.12.2025 को जब वादी अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए तो अभियुक्त संदीप उपरोक्त के मन में लालच आया और उसने अपने सह अभियुक्तों बाबू उर्फ ओमप्रकाश व लेखराज उर्फ साका को वादी के घर पर बुला लिया और अपने मालिक की गैर मौजदूगी में तीनों अभियुक्तों ने मिलकर ग्राईण्डर की सहायता से अलमारियों के लॉक काटकर उसमें रखे सोने, चाँदी, डायमण्ड की ज्वैलरी चोरी कर ली तथा घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए जिससे हम पकड़े न जा सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1- संदीप पुत्र रामचरन निवासी दंडतमाफ, थाना कोतवाली महोबा, महोबा वर्तमान पता सेक्टर-46, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 25 वर्ष।
2- बाबू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र दशरथ निवासी दंडतमाफ, थाना कोतवाली महोबा, महोबा, उम्र करीब 24 वर्ष।
3- लेखराज उर्फ साका पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम बछेचर कलाँ, थाना जैतपुर, महोबा, उम्र-19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0- 657/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
2- मु0अ0सं0- 655/2025 धारा 306/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

(1) 01 रूबी डायमंड सेट

(2) 01 सोने का गले का हार

(3) 01 जोड़ी सोने के झुमके

(4) 07 सोने की चूड़ी व कंगन

(5) 01 डायमंड सेट बड़ा

(6) 01 बड़ी चेन

(7) 01 रूबी डायमड टॉप्स

(8) 01 मोती वाला गोल्ड सेट

(9) 01 गोल्ड सेट

(10) 01 डायमंड पेन्डेन्ट सेट चेन के साथ

(11) 04 सोने की चेन

(12) 05 सोने की व सफेद धातु की अगूँठी

(13) 01 सोने का मंगलसूत्र

(14) 01 छोटा पेन्डेन्ट

(15) 01 मटर माला

(16) 08 जोड़ी कानों के झुमकें/टॉप्स

(17) 01 छोटें मोतियों की माला

(18) हरे मोतियों की माला कान के टॉप्स के साथ

(19) 01 ओवल पेन्डेन्ट

(20) 01 गुलाबी पुखराज पेन्डेन्ट

(21) 02 जोड़ी डायमंड टाप्स लाल डिब्बें में

(22) 16 चाँदी के सिक्कें

(23) 20 ग्राम के 4 सिक्कें

(24) 50 ग्राम के 03 सिक्कें

(25) 100 ग्राम का 01 सिक्का

(26) 02 सोने के बड़े कड़े

(27) ₹1,21,000 रुपये नकद

(28) 01 चोरी का मोबाइल फोन

(29) 01 ग्राइन्डर व 01 डीवीआर

(30) 02 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

(31) 01 अवैध चाकू

3. थाना कासना पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त कार लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी स्विफ्ट कार व 02 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद एवं उक्त अभियुक्तगण से पूछताछ के उपरान्त अन्य 02 सहयोगी अभियुक्त भी गिरफ्तार जिनके कब्जे से लूट का अन्य सामान व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 24.12.2025 को थाना कासना पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की स्विप्ट कार न0 डीएल 8सी एक्यू 8215 रंग सफेद व पर्स जिसमें एटीएम कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व 20000 रुपये ग्राम चीरसी से लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में दिया गया। जिसके सम्बन्ध में तत्काल मु.अ.स. 308/2025 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना कासना पुलिस द्वारा दिनांक **29.12.2025** को पुलिस मुठभेड के उपरान्त थाना कासना क्षेत्रान्तर्गत कार लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1-अमित उर्फ मुत्तू कसाई पुत्र मदन अधाना निवासी गाँव शावली मेन रोड हनुमानजी के मन्दिर के बगल में गली में सिकन्द्राबाद थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 32, 2-शीलेन्द्र पुत्र रेशमपाल निवासी कानऊ थाना हसायन जिला हाथरस उम्र 22 वर्ष को ओमिक्रोंन प्रथम ए की सर्विस रोड पर ग्रीन बेल्ट से **गिरफ्तार** किया गया है। मुठभेड़ के दौरान उपरोक्त अभियुक्त अमित व अभियुक्त शीलेन्द्र पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग के दौरान घायल हो गय थे, जिनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया था। पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में मु.अ.स. 311/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

मुठभेड के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अमित उर्फ मुत्तू कसाई पुत्र मदन अधाना निवासी गाँव शावली मेन रोड हनुमानजी के मन्दिर के बगल में गली में सिकन्द्राबाद थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 32
2- शीलेन्द्र पुत्र रेशमपाल निवासी कानऊ थाना हसायन जिला हाथरस उम्र 22 वर्ष

पूछताछ के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

3- धर्मेन्द्र यादव पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी रफीपुर थाना मिरैची जिला एटा हाल निवासी तेज सिंह कालोनी किराये का मकान, सावली थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष
4- अनुराग उर्फ़ अन्नू पुत्र महाराज सिंह निवासी गाँव शावली थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष

उपरोक्त अभियुक्तगण से पूछताछ के बाद अन्य अभियुक्तगण की सहभागिता भी प्रकाश में आई जिस आधार पर अभियुक्तगण - 1-धर्मेन्द्र यादव पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी रफीपुर थाना मिरैची जिला एटा हाल निवासी तेज सिंह कालोनी किराये का मकान, सावली थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष 2-अनुराग उर्फ़ अन्नू पुत्र महाराज सिंह निवासी गाँव सावली थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष को ग्राम सांवली थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर से दिनांक 30.12.25 को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 430 रूपये और धर्मेन्द्र के पास से एक मोटर साइकिल यामाहा बिना नम्बर, वादी का आधार कार्ड, पेनकार्ड, एडीएफसी बैंक का वीजा कार्ड, एचडीएफसी ईग्रो हेल्थ इन्सयुरैंस कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का वीजा प्लेटिनम कार्ड , एसबीआई का एमटीएस कार्ड बरामद किये गये हैं।

- **आपराधिक इतिहास अमित उर्फ मुत्तू कसाई--**

1- 1-मु.अ.स. 794/2016 धारा 394/414/420/467/472/504/506 ipc थाना सिकन्दराबाद बुलंदशहर
2- मु.अ.स. 795/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दराबाद बुलंदशहर
3- मु.अ.स. 794/2016 धारा 8बी/22 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दराबाद बुलंदशहर
4- मु.अ.स. 578/2020 धारा 307 भादवि थाना सिकन्दराबाद बुलंदशहर
5- मु.अ.स. 579/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दराबाद बुलंदशहर
6- मु.अ.स. 308/2025 धारा 309(6) /317(2) बीएनएस थाना कासना गौतमबुद्धनगर
7- मु.अ.स. 311/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर

- **आपराधिक इतिहास शीलेन्द्र--**

1- मु.अ.स. 308/2025 धारा 309(6) /317(2) बीएनएस थाना कासना गौतमबुद्धनगर।
2- मु.अ.स. 311/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त धर्मेन्द्र/अनुराग--**

मु.अ.स. 308/2025 धारा 309(6) /317(2) बीएनएस थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण—

अभियुक्त अमित व शीलेन्द्र से लूटी गयी स्विफ्ट कार डीएल 8सी एक्यू 8215 व 02 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

अभियुक्त अनुराग उर्फ़ अन्नू 430 रूपये और धर्मेन्द्र के पास से

एक मोटर साइकिल यामाहा बिना नम्बर,

वादी का आधार कार्ड,

पेनकार्ड,

एडीएफसी बैंक का वीजा कार्ड,

एचडीएफसी ईग्रो हेल्थ इन्सयुरैंस कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का वीजा

प्लेटिनम कार्ड ,

एसबीआई का एमटीएस कार्ड।